Ref: OKP/BSE/2025-26/005 Dated: 11th April, 2025

BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400001.

SCRIP CODE: 526415

SUBJECT: Newspaper Publication -Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter and year ended 31st March, 2025.

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed herewith the copies of the newspaper publication of Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and year ended 31st March, 2025 published in "The Financial Express" & "Jansatta" on 11th April, 2025.

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Yours faithfully,

FOR OK PLAY INDIA LIMITED

MEENU GOSWAMI Digitally signed by MEENU GOSWAMI Date: 2025.04.11 15:28:11 +05'30'

Meenu Goswami
Company Secretary

OK PLAY INDIA LIMITED
Corporate office :124,New Manglapuri,Mehrauli,New Delhi-110030 **Tel** :+91 11 46190000 **Fax :** +91 11 190090
Registered Office & Works : Plot No 17 & 18 ,Roz-Ka-Meo Industrial Estate,Tehsil Nuh, District Mewat,Haryana-122103
Tel.: +91 124 2362335-36 **Fax :** +91 124 2362326 **CIN –** L28219HR1988PLC030347
Website : www.okplay.in **Email :** info@okplay.in

IN FY25, CONSIGNMENTS WORTH ₹3,446.66 CRORE ENTERED PETRAPOLE PORT

Before India halted trans-shipment, Bangla border port saw sharp uptick

RAVIK BHATTACHARYA
Kolkata, April 10

INCREASING TENSIONS

- India halted trans-shipment facilities for Bangladesh on April 8
- Petrapole is the largest land port in South Asia
- It is situated on the Indo-Bangladesh border, 80 km from Kolkata
- India had allowed trans-shipment of Bangladesh's cargo to third countries

- This was first allowed in June 2020
- In FY24, 3,373 trucks with trans-shipment cargo entered Petrapole
- These consignments valued at ₹2,357.27 cr
- In FY24, Petrapole recorded trade worth ₹30,42,092 cr

BEFORE INDIA TERMINATED the trans-shipment facility for Bangladesh's export cargo, trucks and consignments saw a sharp uptick at Petrapole, the nation's largest land port, data shows.

New Delhi halted trans-shipment facilities for the neighbouring country on April 8, days after Bangladesh chief adviser Muhammad Yunus advocated the extension of the Chinese economy around the strategically important North-east India region.

India first allowed trans-shipment of export cargo from Bangladesh to third countries using Indian Land Customs Stations and subsequently Indian ports and airports on June 29, 2020.

According to sources in the Petrapole Land Port's customs department, in FY24, 3,373 trucks with trans-shipment commodities or export cargo entered Petrapole from Bangladesh, with 4,733 consignments valued at ₹2,357.27 crore.

In FY25, 4,686 trucks (a 39% increase) with trans-shipment commodities entered Petrapole with 7,772 consignments valued at ₹3,446.66 crore.

"The facility was extended by our country to Bangladesh in 2020, but it saw little response that year and in 2021 and 2022. In 2023, though, transshipment consignments arrived in good numbers, and there was a sharp increase thereon. Primarily, ready-made garments come to us as commodities and are then flown to European countries like Spain. The rush of consignments is seen before the European festive season, including Christmas," said a senior Customs official at Petrapole. Officials explained that trucks from Bangladesh first carry the consignments to Petrapole, where they are checked by land port and customs authorities. Indian trucks then take them to Kolkata or Delhi airports.

"Every day, 150-200 trucks enter from Bangladesh, of which around 15-20 carry transshipment commodities. From India, around 400 trucks go to the Bangladesh side. Ever since we received the notification, no transshipment consignments are being allowed. However, normal import-export truck movement as well as passenger movement between the two countries continues," said Kartik Chakraborty, secretary, Petrapole Clearing Agents' Staff Welfare Association.

"Four trucks stationed on the Bangladesh side (Benapole land port) returned to the country yesterday. Most transshipment consignments from Petrapole used to go to Kolkata airport and then to foreign countries, either directly or via Delhi airport. This is bad news for exporters of Bangladesh, mainly garment exporters. It was cheaper and easier to send through India. Indian truck owners that used to carry the consignments from Petrapole to Kolkata or Delhi airports will suffer losses too. So will labourers who unload and load the consignments in Petrapole," Sajedur Rehman, secretary of the clearing agents ataff association in Benapole, Bangladesh, said.

Bill to scrap post-study work permit may draw fire in US

MANU KAUSHIK
New Delhi, April 10

WITH THE US government reportedly preparing a Bill to terminate Optional Practical Training (OPT) programme, India's study-abroad platforms remain unconvinced that it will succeed. They argue that the legislation would be detrimental not only to students but also to the US higher-education sector, and expect significant pushback from universities and industry alike.

"Any legislation like this will reduce the number of students going to the US, in addition to having an impact on the quality of students that the US universities will attract," said Karunn Kandoi, founder and CEO of Vidysea Education.

Experts stated that the Bill is still in its early stages and is largely driven by a handful of advocacy groups. "If implemented, the Bill will severely impact nearly 4,000 universities in the US who are dependent on foreign students to fill their seats. Over the past few years, the enrolments of local students in US universities has gone down drastically due to declining value of degree programmes. This has increased their dependence on international students. The universities will likely oppose this Bill, and hence, we don't see any near-term implications," said Saif Iqbal, vice president at ApplyBoard.

OPT, which is tied to the F-1 student visa, allows international graduates to work in the US for up to 12 months — and up to 36 months for those with STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) degrees. Any abrupt end to the programme would hit India particularly hard, which is now the largest sender of students to the US after China.

SHATTERED DREAMS

International Student Enrolments in US

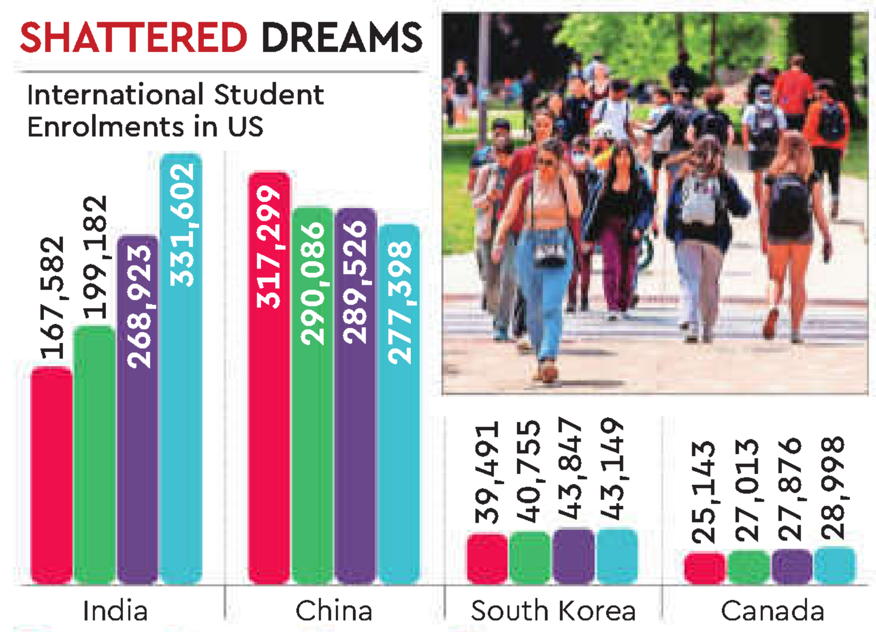

Source: Open Doors

Priyansh's clear-cut batting ethos: Watch the ball & hit it

SANDIP G
New Delhi, April 10

WITH A WITTY one-liner, uttered with an expressionless face, Punjab Kings' Priyansh Arya, reveals his batting ethos: "Attacking batsmen *hamesha out hote to woh bahut ganda hi lagta hain.*"

He was not talking about the aesthetics of six-hitting, but his immunity to the criticisms that blow his way when the attacking strokes he lives by nails his end too.

He clarifies: "Not just me, look at every attacking batsman. It's part of the game, and I don't think about failures, or whether this shot could get me out or not, when I am batting. I just watch the ball, and look to hit it," he says. His thoughts, like his batting, have an irreducible simplicity. He only sees wide open spaces on the field, and a hard ball that will fly off the blade.

So the first-ball duck against Rajasthan Royals didn't inhibit him from hitting a first-ball six against Chennai Super Kings. Even the most enthusiastic IPL greenhorn would have exercised restraint the second time around. But why shouldn't he, when he is bursting with his six-hitting self-belief?

He remembers a chat with Ricky Ponting in the nets the day after Jofra Archer's corker had dishevelled his stumps. "He asked me what I would do if I get a similar ball the next game. I told him I would try to hit the ball for a six. And he told me it is not a problem and that anyone could get out first ball in the first ball of the game," he says. The reassurance of Shreyas Iyer, the captain, that he would open in all 14 games raised his morale further.

But few though would imagine, let alone hit, the first ball of the next game for a six. He did, slapping the widish ball over point without fuss, with a brisk, anti-clockwise tilt of his wrists, from the left-handed Khaleel Ahmed. A catch, from a leading edge, was spilled next ball. But Priyansh batted as though nothing had happened. "It didn't weigh in my mind, everybody drops catches. We dropped plenty too," he says. He brushed the reprieve aside with another swamping six the same over.

Punjab Kings opener says he wasn't a natural six hitter

Beneath the outwardly soft-edged exterior, though, is an intelligent schemer. When Ravi Ashwin, with a wealth of 765 international wickets, marked his run-up, from around the stumps, he immediately second-guessed the masterful spinner's designs. "I figured out what he was trying to do, bowl into my legs and cramp me. So I decided to sweep him, and it is exactly how he bowled," he says. And it was exactly how he greeted his first ball. By now, he was reading Ashwin's mind like a psychoanalyst. He waited on the back foot for him to err and slugged him over wide long-off.

Every fifth ball he has faced this IPL has landed beyond the fence (15 sixes off 75 balls). He does so with a note-perfect bat-swing, which makes up for his lack of Chris Gayle-like shoulders or the forearms of Sanath Jayasuriya or the wings-span of Matthew Hayden. But he dismisses the media-spun portrait of him as a natural six-hitter.

"It is not true that someone is a born six-hitter. It is something that you get with maturity and exposure. When I started, I was a timid boy. But I became bolder after I began to play more frequently," he says.

He could come atypically soft-spoken for a cricketer from Delhi, but he doesn't take refuge in platitudes. He could be playfully blunt too. Asked about the "specifics" of Ponting's counsel to him, he faked innocence. "I frankly don't remember what he told me. I would remember it only when I am at the nets or batting in the nets," he says. As if to assert his innocence, he repeats, "*Sach mein sir, sach mein yaad nahin hain.*"

यूको बैंक UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)
Head Office-II, Department of Information Technology
3 & 4, DD Block, Sector – 1, Salt Lake, Kolkata–700064

NOTICE INVITING TENDER

UCO Bank Invites tender for procurement of Public Financial Management System (PFMS) Application & Associated Modules.
For more details, please visit **https://www.ucobank.com or https://gem.gov.in**

Date: 11.04.2025
Assistant General Manager
Department of Information Technology

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

THE FEDERAL BANK LTD.REG.OFFICE: PB. No: 103, FEDERAL TOWERS, ALUVA, KERALA, INDIA - 683 101 Phone: 0484-2622263,
E-MAIL: secretarial@federalbank.co.in,
Website: www.federalbank.co.in, CIN: L65191KL1931PLC000368

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following Share Certificates have been reported lost. Letter of Confirmation in lieu of Share Certificates reported as lost shall be issued, if no valid objection is received within 15 days from the date of publication of this notice.

SL No.	NAME	FOLIO	CERT.NO.	DIST.NO.	NO. OF SHARES
1	ASHOK GUPTA	77946	507532	18349621 - 18351930	4620
			606373	1711443563 - 1711445872	
2	SUDHA A	7904	501496	3779856 - 3783350	6990
			601351	1698962988 - 1698966482	
3	ELIZABETH SIMON	85694	508252	19362976 - 19364475	3000
			606987	1712285893 - 1712287392	

Place: Aluva
Date : 11.04.2025
Sd/-
Samir P Rajdev
Company Secretary

FYNX CAPITAL LIMITED
(Formerly known as Rajath Finance Limited)
CIN: L65910MH1984PLC419700
Office No.1001, Tenth Floor, K.P. Aurum Building, CTS No.426A, Marol Maroshi Road, Andheri (E), Marol Bazar, Mumbai – 400059
Website: www.fynxcapital.com Contact No. +91 8655900272 / +91 8655900275
E-mail: compliance@fynxcapital.com

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that pursuant to the No objection certificate issued by the Reserve Bank of India (RBI) vide letter no. CO.DOR.ISG.NO.S4679/02-13-001/2024-25 dated 06.11.2024 and the approval of the shareholders of the Company, Rajath Finance Limited, a Non-Banking Financial Company registered with the Reserve Bank of India under section 45 IA of the RBI Act, 1934, having its Registered Office at Office No.1001, Tenth Floor, K.P. Aurum Building, CTS No.426A, Marol Maroshi Road, Andheri (E), Marol Bazar, Mumbai – 400059, has changed its name to FYNX CAPITAL LIMITED with effect from April 07, 2025 as per the Certificate of Incorporation pursuant to change of name issued by the Registrar of Companies (ROC) Central Processing Centre (CPC), dated April 07, 2025.

The company continues to hold a Certificate of Registration (CoR) issued by the Reserve Bank of India (RBI) bearing Registration No. B-13.02490, dated 12.08.2024, under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, until fresh Certificate of Registration (CoR) is issued by the Reserve Bank of India (RBI) with the new name.

All stakeholders, customers, and the general public are hereby informed that there is change in name only and there is no change in the legal status or constitution of the company, and all existing contracts, obligations, and liabilities entered into under the old name shall continue to be binding under the new name.

For any queries, please contact: **FYNX CAPITAL LIMITED**
Registered Office: **Office No.1001, Tenth Floor, K.P. Aurum Building, CTS No.426A, Marol Maroshi Road, Andheri (E), Marol Bazar, Mumbai – 400059**
Phone: **+918655900272/+918655900275**
Email : **compliance@fynxcapital.com**
Website : **www.fynxcapital.com**

Place : Mumbai
Date : 09/04/2025
By Order of the Board
For, FYNX CAPITAL LIMITED
(Formerly known as Rajath Finance Limited)
Sd/-
Akash Hirenbhai Bheda
Company Secretary & Compliance Officer

TATA
TATA POWER
(Corporate Contracts Department, 5th Floor Station B)
Tata Power, Trombay Thermal Power Station Chembur-Mahul, Mumbai 400074, Maharashtra, India.
(Board Line: 022-67175329, Mobile: 7208090025) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING TENDER

The Tata Power Company Limited invites tender from eligible vendors for the following package.
Supply of Coal mill vertical shaft at Trombay, Chembur-Mahul, Mumbai 400074
For detail NIT, please visit Tender section on website **https://www.tatapower.com**. Last date for receipt of request for issue of bid document is **20th April 2025 up to 1500 Hrs.**

TATA
TATA POWER
(Corporate Contracts Department)
Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India
(Board Line: 022-67173188) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest from eligible parties for **"Civil Works for Coal Pile Run Off System at PPGCL Thermal Power Station, Bara, Prayagraj, Uttar Pradesh." (Tender ref: CC25PMR049)**
For details of pre-qualification requirements, purchasing of tender document, bid security, etc., please visit Tender section of our website **(URL: https://www.tatapower.com/tender).** Eligible parties willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee on or before **21st April 2025.**

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF J H V SUGAR LIMITED
RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of corporate debtor	J H V SUGAR LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	11/11/1997
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC Kolkata
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U15421WB1997PLC085863
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Kamlalaya Centre, 156-A, Lenin Sarani, Room No. 212, IInd Floor, Kolkata, West Bengal - 700013
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	07th April, 2025 (CIRP order received on 08th April, 2025)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	04th Oct, 2025
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	**Alok Kumar Agarwal** **IBBI Reg No:** IBBI/IPA-001/IP-P00059/2017-2018/10137
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	605, Suncity Business Tower, Golf Course Road, Sector 54, Gurgaon, Haryana-122002 alok@insolvencyservices.in
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	C-100, Block-C, Sector-2, Noida, Uttar Pradesh-201301 jhvsugar@ibcprocess.in
11.	Last date for submission of claims	21st April, 2025
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable; No class identified yet
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable; No class identified yet
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Kolkata Bench (Court – 1) has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **J H V Sugar Limited** on 07 April 2025 (Order received on 08 April 2025).
The creditors of the **J H V Sugar Limited,** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 21 April 2025 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorized representative of the class in Form CA. – N.A.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Alok Kumar Agarwal
Interim Resolution Professional - J H V Sugar Limited
IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00059/2017-2018/10137
AFA Validity- 31st December, 2025
IBBI Regn Address/Email: 605, Suncity Business Tower, Golf Course Road, Sector 54, Gurgaon, Haryana-122002/alok@insolvencyservices.in
Corresponding Address/Email: C-100, Sector-2, Block-C, Noida, UP-201301/jhvsugar@ibcprocess.in
Date: 11.04.2025
Place: Gurugram

OK PLAY INDIA LIMITED
CIN No: L28219HR1988PLC030347
Regd. Office: 17-18, Roz- Ka-Meo Industrial Estate, Tehsil Nuh, District Mewat, Haryana. – 122103
Website: www.okplay.in, Email: info@okplay.in
Tel: 011-46190000, Fax: 011-46190090

STATEMENT OF AUDITED FINANCIALS RESULTS STANDALONE AND CONSOLIDATED FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

The Board of Directors of the Company, at the Meeting held on April 09, 2025 approved the audited Financial results of the Company-Standalone and Consolidated for the quarter and year ended March 31, 2025

The Results along with the Auditors Report have been posted on the Company's website at https://okplay.in/wp-content/uploads/2025/04/Board-Meeting-09-Apr-2025.pdf and can be accessed by scanning the QR Code.

Date: 09.04.2025
Place: New Delhi
By Order of the Board
For OK Play India Limited
Sd/-
Meenu Goswami
Company Secretary & Compliance Officer

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

YES BANK
Registered & Corporate Office:
YES BANK Limited: YES BANK House, Off Western Express Highway, Santacruz (E), Mumbai - 400055, India. **Tel:** +91 (22) 5091 9800 / +91 (22) 6507 9800
Fax: +91 (22) 2619 2866 | **Website:** www.yesbank.in
Email: shareholders@yesbank.in | **CIN:** L65190MH2003PLC143249

NOTICE
Transfer of Equity Shares of the Bank to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, the Equity Shares of the Company ("Bank") in respect of which dividend has remained unclaimed or unpaid for a period of seven consecutive years are required to be transferred by the Bank to the demat account of the IEPF Authority.

The Bank has sent communications to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority at their registered email IDs or latest available address, advising them to claim their unclaimed dividends. The Bank has uploaded details of the concerned shareholders whose shares are due for transfer to the IEPF Authority on its website www.yesbank.in. Shareholders are requested to refer to the website to verify the details of unclaimed dividends and the shares which are liable to be transferred to the IEPF Authority.

The concerned shareholder(s) holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, may note that upon transfer of shares to IEPF Authority, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shares which are held in dematerialized form, to the extent of shares liable to be transferred, shall be debited from the shareholders' account. In case the concerned shareholders do not claim their unclaimed dividends by July 11, 2025, the Bank shall transfer the shares to the IEPF Authority in compliance of the said Rules without any further notice to the shareholders and no liability shall lie against the Bank in respect of the shares so transferred.

The shareholders may note that upon transfer of shares to IEPF Authority, including all benefits accruing on such shares, if any, the same can be claimed only from the IEPF Authority by submitting an online application to the IEPF Authority in Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in along with fee specified by the Authority.

For any queries in respect of the above matter, shareholders may contact KFin Technologies Limited, the Registrar & Transfer Agent of the Bank to, Ms. Shobha Anand, Deputy Vice President at Unit: YES BANK Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032, Tel: +91- 40 - 6716 2222 e-mail ID: einward.ris@kfintech.com.

Place: Mumbai
Date: April 11, 2025
For YES BANK Limited
Sd/-
Sanjay Abhyankar
Company Secretary

अधिवेशन से बहुजन को मिला स्पष्ट संदेश : राहुल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव का जिक्र करते हुए गुरुवार को कहा कि इसमें बहुजन के लिए स्पष्ट संदेश है कि वे अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों पर पार्टी का समर्थन करें और उसे मजबूत बनाएं।

कांग्रेस का एक दिवसीय अधिवेशन बुधवार को अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर आयोजित हुआ जिसमें पार्टी ने सामाजिक न्याय समेत कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किया। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर लिखा कि कल, एआइसीसी के अहमदाबाद अधिवेशन न्यायपथ में कांग्रेस ने देश के बहुजन को हिस्सेदारी देते हुए सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए तीन ऐतिहासिक संकल्प लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय कानून लाकर आरक्षण की 50 फीसद सीमा को खत्म करेंगे, केंद्रीय कानून बनाकर 'एससी एसटी सब-प्लान' को कानूनी आकार देंगे और इन वर्गों की जनसंख्या के आधार पर बजट में हिस्सेदारी देंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) में निर्धारित एससी, एसटी और ओबीसी के निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के अधिकार को लागू करवाएंगे। देश के बहुजनों के लिए हमारा संदेश साफ है – आपके भविष्य से जुड़े इन मुद्दों पर हमारा साथ निभाएं, हाथ को मजबूत बनाएं, क्योंकि, हाथ बदलेगा हालात।

अनिल जयहिंद कांग्रेस के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

कांग्रेस ने गुरुवार को अनिल जयहिंद को अपने राष्ट्रीय ओबीसी विभाग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जयहिंद की नियुक्ति की। मूलतः बिहार के रहने वाले जयहिंद सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

उन्होंने हरियाणा के पूर्व मंत्री अजय सिंह यादव का स्थान लिया है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रवक्ता आलोक शर्मा को राष्ट्रीय सचिव और पंजाब के सह प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है। वे मीडिया प्रवक्ता की भूमिका निभाते रहेंगे।

विपक्षी दल इंडिया गठबंधन ने कहा

डेटा संरक्षण कानून के प्रावधान आरटीआइ को करते हैं कमजोर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अप्रैल।

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने गुरुवार को 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण' (डीपीडीपी) अधिनियम की धारा 44(3) को निरस्त करने की मांग की है। विपक्षी दलों ने दावा किया कि यह धारा सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून को कमजोर करती है।

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के 120 से अधिक सांसदों ने इस संबंध में एक संयुक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को सौंपा जाएगा। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का विरोध किया। इस दौरान द्रमुक के नेता एमएम अब्दुल्ला, शिवसेना (उद्धव) की प्रियंका चतुर्वेदी, माकपा नेता जान ब्रिटास, सपा नेता जावेद अली खान व राजद के नेता नवल किशोर मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) का विरोध किया है, जिसके जरिए आरटीआइ अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आरटीआइ अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत व्यक्तिगत जानकारी देने से रोकने की अनुमति दी गई है, यदि उसका खुलासा किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से संबंधित नहीं है या इससे निजता का अनुचित उल्लंघन होता है। यह प्रतिबंध हालांकि एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा के अधीन है कि यदि केंद्रीय या लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि सूचना का खुलासा करने से व्यापक जनहित में मदद मिलेगी, तो इसे उपलब्ध कराया जा सकता है। डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) आरटीआइ अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) में संशोधन करती है, जो सरकारी निकायों को 'व्यक्तिगत जानकारी' देने से प्रतिबंधित करती है, जिसमें सार्वजनिक हित या किसी अन्य अपवाद पर विचार नहीं किया जाता है।

निजी विवरणों का खुलासा आरटीआइ कानून के तहत जारी रहेगा : वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि नया डेटा संरक्षण नियम लागू होने के बाद भी व्यक्तिगत विवरणों का खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के अधीन किया जाता रहेगा। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक पत्र के जवाब में यह जानकारी दी है। कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षणअधिनियम 2023 की धारा 44 (3) को 'स्थगित, समीक्षा करने और निरस्त करने' की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यह धारा आरटीआइ अधिनियम 2005 के तहत व्यक्तिगत जानकारी साझा करने पर रोक लगती है। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, 'कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जो हमारे जनप्रतिनिधियों और कल्याण कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के तहत कानूनी दायित्वों के तहत प्रकटीकरण के अधीन है, उसका खुलासा आरटीआइ अधिनियम के तहत जारी रहेगा।

कराड पहुंचे अदालत, सरपंच हत्याकांड में आरोपमुक्त करने का किया आग्रह

छत्रपति संभाजीनगर, 10 अप्रैल (भाषा)।

महाराष्ट्र में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड ने बीड की एक अदालत में एक आवेदन दायर कर खुद को आरोपमुक्त करने का आग्रह किया है। उसने दावा किया है कि उसके खिलाफ कोई प्राथमिक सबूत नहीं है। अभियोजन ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

अदालत ने मामले की जांच कर रहे राज्य अपराध जांच विभाग (सीआइडी) से आवेदन पर जवाब मांगा है। सीआइडी ही मामले की जांच कर रही है। किसी मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपी को तब आरोप मुक्त किया जा सकता है, जब अदालत की राय हो कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है। फिर आरोपी को मुकदमे का सामने करने की जरूरत नहीं होती है। महाराष्ट्र के बीड जिले के मसाजोग गांव के सरपंच देशमुख को पिछले साल नौ दिसंबर को एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली की कोशिश को रोकने का प्रयास करने पर कथित तौर पर अगवा कर लिया गया था और उन्हें प्रताड़ित कर मार डाला गया था।

प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन ने दी आंबेडकर जयंती न मनाने की धमकी

शिमला, 10 अप्रैल (ब्यूरो)।

प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फार जस्टिस (एसएफजे) ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को चेतावनी जारी कर राज्य में 14 अप्रैल को बीआर आंबेडकर की जयंती से संबंधित सभी कार्यक्रम रोकनेकेलिए कहा है। मीडिया के साथ साझा किए गए पत्र में एसएफजे ने 14 अप्रैल को यहां राज्य की विधानसभा के निकट स्थित चौरा मैदान में आंबेडकर की प्रतिमा पर खालिस्तानी झंडा लहराने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की। एसएफजे ने कहा, 'आंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक या शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रम रद्द किए जाएं तथा सभी राज्य-नियंत्रित संस्थाओं से आंबेडकर के नाम और चित्र हटाए जाएं।'

विज्ञापन संख्या: 22/2025
भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में
निदेशक (बल्क कैरियर एवं टैंकर)
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता हैं।
आवेदकों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि
22/04/2025 (15:00 बजे तक) हैं।
नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदनों को लोक उद्यम चयन बोर्ड में अग्रेषित करने की अंतिम तिथि **29/04/2025 (17:00 बजे तक)** हैं।
जानकारी के लिए वेबसाइट **https://pesb.gov.in** में लॉग इन करे।

प्रारूप संख्या आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के खंड (ए) के मामले में
और
दहोप हॉस्पिटल एण्ड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय "जी -321/ए चिराग दिल्ली राधे राधे स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, न्यू दिल्ली-110017 भारत में स्थित है के मामले में,
याचिकाकर्ता
आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे) से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानातरित करने के लिए बुधवार तारीख 09 अप्रैल, 2025 को आयोजित अधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम मापन में संशोधन की पुष्टी की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति शपथ पर शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसमें उनके हित का प्रकार और उसमें विरोध का तरीका उल्लेखित हो। वह अपनी आपत्ति प्रादेशिक निर्देशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर प्रदेशिक निर्देशक उत्तरी क्षेत्र बी विंग द्वितीय तल पंडित दीनदायल अंतयोदय भवन तल सीजीओ कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110003 पर पंजीकृत डाक भोज सकते है या सुपूर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित नियमित कार्यालय पते पर भी भेज सकते हैं-
जी-321/ए चिराग दिल्ली राधे राधे स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, न्यू दिल्ली-110017 भारत
दहोप हॉस्पिटल एण्ड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
विनोद कुमार उपाध्याय
(निर्देशक)
डिन 07325808
दिनांक 09 अप्रैल, 2025
स्थान नई दिल्ली

ओके प्ले इंडिया लिमिटेड
सीआईएन नंबर: L28219HR1988PLC030347
पंजीकृत कार्यालय: 17-18, रोज- का-मेओ इंडस्ट्रियल एस्टेट, तहसील नूंह, जिला मेवात, हरियाणा -122103 **वेबसाइट: www.okplay.in**
ईमेल: **info@okplay.in** दूरभाष: **011-46190000,** फैक्स: **011-46190090**

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए स्टैंडअलोन तथा समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने 09 अप्रैल, 2025 को आयोजित बैठक में 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए स्टैंडअलोन तथा समेकित कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को स्वीकृति दी।

परिणामों सहित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **https://okplay.in/wp-content/uploads/2025/04/Board-Meeting-09-Apr-2025.pdf** पर पोस्ट की गई है तथा इसे क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

बोर्ड के आदेश से
कृते ओके प्ले इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
मीनू गोस्वामी
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
तिथि: 09.04.2025
स्थान: नई दिल्ली
नोट: उपरोक्त सूचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार है।

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED **कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**
पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :- 502, टावर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सर्किल कार्यालय :- 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट -IV-A [नियम 8 (6) तथा 9(1) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) तथा 9(1) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदार की तरफ कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नवर्णित तिथियों को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	1. कर्जदार(रों) का नाम 2. बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. सुरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ईएमडी 3. वृद्धि मूल्य
1.	1. श्रीमती रश्मि अवस्थी ("कर्जदार") 2. श्री विनीत अवस्थी (सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या LNCGHKKDHL0000000456 (पुराना)/51200000498917 (नया) रुपये 9,93,687/- (रुपये नौ लाख तिरानवे हजार छह सौ सतासी मात्र) 04-01-2025 तक + आगे लागू ब्याज।	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि एवं भवन आवासीय फ्लैट नंबर 407, तृतीय तल, छत का अधिकार नहीं, कवर्ड/सुपर एरिया 52 वर्ग मीटर, नंद रेजीडेंसी, स्थित : खसरा नंबर 191, नंद वाटिका कालोनी, फेज-3, प्लॉट नंबर 1, ग्राम गिरधरपुर सुनारसी, निकट वेव सिटी, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201001.	1. ई-नीलामी की तिथि : 28-04-2025 (अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच) 2. ईएमडी, केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि : 26-04-2025 3. निरीक्षण की तिथि : 25-04-2025	सुरक्षित मूल्य : रू. 7,50,000/- (रुपए सात लाख पचास हजार मात्र) धरोहर राशि जमा : रू. 75,000/- (रुपए पचहत्तर हजार मात्र) वृद्धि मूल्य : रू. 10,000/- (रुपए दस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की वेबसाइट **www.capriglobal.in/auction/** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।
ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :-
1. सम्पत्ति "जैसी है जहां है, जो भी है वहां है तथा कोई वापसी नहीं आधार" पर बेची जा रही है। अतएव बिक्री किसी प्रकार की वारंटी एवं क्षतिपूर्ति के बिना की जा रही है।
2. सम्पत्ति/आस्ति के विवरण (उदाहरण के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना में विनिर्दिष्ट सीमा एवं परिमाप) प्रतिभूत लेनदार की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं तथा प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वास्तविक सीमा एवं माप भिन्न हो सकता है।
3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा जारी की गई ई-नीलामी बिक्री सूचना जनसाधारण को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने हेतु एक आमंत्रण है तथा यह प्रतिभूत लेनदार की ओर से कोई वचनबद्धता अथवा अभिवेदन नहीं है और न ऐसा करता समझा जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले स्वामित्व विलेख की प्रति प्रतिभूत लेनदार से प्राप्त करने और सम्पत्ति/आस्ति के स्वामित्व के स्वामित्व एवं वर्तमान दशा तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/देयताओं की स्वतंत्र जांच/सतर्क जांच कर लेने की सलाह दी जाती है।
4. नीलामी/बोलीदान सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर अथवा ऑक्शन टाइगर मोबाइल ऐप के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" द्वारा होगा, जो ई-नीलामी प्लेटफार्म के जरिए नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था एवं समन्वय करेंगे।
5. बोलीदाता बोलीदान के लिए अपनी पसंद के स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश डाउन, पावर फेल्योर इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
6. संभावित बोलीदाता ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन बोलीदान के लिए सेवा प्रदाता **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नंबर 079-68136880/68136837), श्री रामप्रसाद शर्मा मोबाइल नंबर 800-002-3297/79-6120 0559, ई-मेल : ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।**
7. इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए अपने नाम का पंजीकरण **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर पर्याप्त अग्रिम में करवाना होगा तथा यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड मिलते ही तत्काल इसको बदल लेने की सलाह दी जाती है।
8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाता को एक प्रतिदेय ईएमडी, जोकि सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत है (उपरि वर्णित अनुसार) "कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से 26-04-2025 को अथवा पूर्व जमा करनी होगी।
9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा गया बोली प्रपत्र (फार्मेट **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर उपलब्ध है) ईएमडी हेतु डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिए, जो प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, आंचलिक कार्यालय, प्लॉट नंबर 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060 को अधिकतम 26-04-2025 के अप. 03.00 बजे तक भेजा जा सकता है। सीलबंद लिफाफे पर "कर्जदार नाम" की सम्पत्ति के लिए ऋण खाता नंबर - .... (ऊपर वर्णित अनुसार) में ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु बोली" शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
10. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेंगे तथा योग्य बोलीदाताओं (जिनके द्वारा अपनी बोलिया सुरक्षित मूल्य से अधिक उद्धृत की गई है तथा प्रतिभूत लेनदार द्वारा विनिर्दिष्ट ईएमडी जमा की गई है) के विवरण की पुष्टि मैसर्स ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को करेंगे ताकि वे ई-नीलामी बिक्री सूचना में वर्णित तिथि और समय पर ऑनलाइन परस्पर बोलीदान/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति केवल उन्हीं योग्य बोलीदाताओं को दें।
11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोलीदान योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्चतम बोली से आरंभ किया जाएगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार होंगे अर्थात ई-नीलामी समाप्त होने का समय अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर बोली आने पर हर बार स्वतः 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
12. एक बार बोली देने के बाद निरस्त या वापस नहीं की जा सकती है। बोलीदाता को उपलब्ध कराई गई यूजर आईडी से दी गई सभी बोलियां केवल उसके द्वारा दी गई बोली मानी जाएंगी।
13. ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर, उच्चतम बोलीदाता को उसके द्वारा उद्धृत अंतिम बोली की राशि की पुष्टि तत्काल ई-मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, **कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, आंचलिक कार्यालय, प्लॉट नंबर 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060** तथा सेवा प्रदाता दोनों को भेजी जाएगी, ताकि उसको ई-नीलामी प्रक्रिया में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके।
14. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी सहित) बोली उसके पक्ष में छूटने पर, बिक्री के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 15 दिन के भीतर कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/ आरटीजीएस/चैक द्वारा जमा करनी होगी।
15. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित राशियों का भुगतान नियत अवधि के भीतर करने में चूक की स्थिति में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशियां (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएंगी और सम्पत्ति दोबारा बिक्री हेतु रखी जाएगी।
16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, बोली राशि की बकाया रकम चुकाने के लिए समय, एकमात्र अपने विवेकानुसार लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।
17. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 1 प्रतिशत राशि बतौर टीडीएस (बिक्री राशि से) अदा करनी होगी तथा टीडीएस सर्टिफिकेट प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा तथा बिक्री मूल्य की पूरी राशि (1 प्रतिशत टीडीएस काटने के बाद), ईएमडी समायोजित करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के 15 कार्यदिवस के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त विचारित विस्तारित अवधि के भीतर अदा करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर जमा की गई धरोहर जमा जब्त कर ली जाएगी।
18. म्युनिसिपल/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। बोलियां सम्पत्ति से संबंधित सभी कानूनी बकाया को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए।
19. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र उसके द्वारा पूर्ण क्रय मूल्य/बोली राशि जमा करने तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।
20. हस्तांतरण, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण हेतु लागू कानूनी प्रभार तथा अन्य अनुषंगी प्रभार नीलामी क्रेता को वहन करने होंगे।
21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही प्रास्थगित/निरस्त कर सकते हैं। ई-नीलामी बिक्री कार्यक्रम बिक्री की निर्धारित तिथि से 15 से कम दिन पहले की तिथि हेतु प्रास्थगित करने की स्थिति में, यह सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी होगा तथा इसको चुनौती नहीं दी सकती है।
23. सभी बोलीदाता, जिनके द्वारा बोलियां प्रस्तुत की गई है, यह माना जाएगा कि वे ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें पढ़ एवं समझ चुके हैं तथा उनके अधीन बाध्य होंगे।
24. सम्पत्ति में रखी चल वस्तु (यदि कोई) इस बिक्री का अंश नहीं है।
25. **अतिरिक्त विवरण तथा पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड : सुश्री स्वाति सिंह मोबाइल नंबर 8960750463 से सम्पर्क करें और आगे पूछताछ के लिए सुश्री कल्पना चेतनवाला - 77380 39346 से सम्पर्क करें।**
26. यह प्रकाशन उक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधकदाता/गारंटर को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा 9(1) के तहत, उपरिवर्णित तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के संबंध में 15 (पंद्रह) दिन का कानूनी नोटिस भी है।

विशेष अनुदेश/चेतावनी : बोलीदाताओं को अन्तिम मिनटों अथवा क्षणों में बोलीदान करने की प्रवृत्ति को स्वयं के हित में त्यागना होगा। ना तो कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड और ना ही सेवा प्रदाता बोलीदाता की ओर से किसी विफलता/कमी (विद्युत विफलता, इंटरनेट विफलता इत्यादि) हेतु उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति से बचने के क्रम में बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपेक्षित बैकअप पॉवर आपूर्ति इत्यादि जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प तैयार रखें, ताकि वे किसी भी आकस्मिक रूकावट से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान : दिल्ली/एनसीआर तिथि : 11-04-2025 हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED **कैप्री ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड**
पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :- 502, टावर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सर्किल कार्यालय :- 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट -IV-A [नियम 8 (6) तथा 9(1) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) और 9(1) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदार की तरफ कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नवर्णित तिथियों को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	1. कर्जदार(रों) का नाम 2. बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. सुरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ईएमडी 3. वृद्धि मूल्य
1.	1. श्री शुभ अग्रवाल (कर्जदार) 2. श्रीमती वैशाली (सह-कर्जदार) (ऋण खाता संख्या LNMEBLY000132335 (पुराना) / 80300005536718 (नया) रुपए 65,73,618/- (रुपए पैंसठ लाख तिहत्तर हजार छह सौ अठारह मात्र) 22-01-2025 तक + लागू भावी ब्याज	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय मकान नंबर 572/581-582/1/6, क्षेत्रफल परिमाप 92.19 वर्ग मीटर (110.26 वर्ग गज), आलमगिरिगंज, तहसील एवं जिला बरेली, उत्तर प्रदेश-243001 चौहद्दी निम्नानुसार : पूरब : पंडित रामदीन वर्तमान में पंकज अग्रवाल का मकान, पश्चिम : शिवहरि का मकान एवं रास्ता एवं शिरीष कुमार गुप्ता का मकान, उत्तर : गोपीकृष्ण वर्तमान में अन्य व्यक्ति का मकान, दक्षिण : शिवहरि का मकान	1. ई-नीलामी की तिथि : 28-04-2025 (अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच) 2. ईएमडी, केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि : 26-04-2025 3. निरीक्षण की तिथि : 25-04-2025	सुरक्षित मूल्य : रू. 45,00,000/- (रुपए पैंतालीस लाख मात्र) धरोहर राशि जमा : रू. 4,50,000/- (रुपए चार लाख पचास हजार मात्र) वृद्धि मूल्य : रू. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें :- **www.capriglobal.in/auction**
ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :-
1. सम्पत्ति "जैसी है जहां है, जो भी है वहां है तथा कोई वापसी नहीं आधार" पर बेची जा रही है। अतएव बिक्री किसी प्रकार की वारंटी एवं क्षतिपूर्ति के बिना की जा रही है।
2. सम्पत्ति/आस्ति के विवरण (उदाहरण के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना में विनिर्दिष्ट सीमा एवं परिमाप) प्रतिभूत लेनदार की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं तथा प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वास्तविक सीमा एवं माप भिन्न हो सकता है।
3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा जारी की गई ई-नीलामी बिक्री सूचना जनसाधारण को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने हेतु एक आमंत्रण है तथा यह प्रतिभूत लेनदार की ओर से कोई वचनबद्धता अथवा अभिवेदन नहीं है और न ऐसा करता समझा जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले स्वामित्व विलेख की प्रति प्रतिभूत लेनदार से प्राप्त करने और सम्पत्ति/आस्ति के स्वामित्व के स्वामित्व एवं वर्तमान दशा तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/देयताओं की स्वतंत्र जांच/सतर्क जांच कर लेने की सलाह दी जाती है।
4. नीलामी/बोलीदान सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर अथवा ऑक्शन टाइगर मोबाइल ऐप के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" द्वारा होगा, जो ई-नीलामी प्लेटफार्म के जरिए नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था एवं समन्वय करेंगे।
5. बोलीदाता बोलीदान के लिए अपनी पसंद के स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश डाउन, पावर फेल्योर इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
6. संभावित बोलीदाता ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन बोलीदान के लिए सेवा प्रदाता **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नंबर 079-68136880/68136837), श्री चिंतन भट्ट मोबाइल नंबर 9265562821 एवं 9265562818, ई-मेल : chintan.bhatt@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।**
7. इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए अपने नाम का पंजीकरण **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर पर्याप्त अग्रिम में करवाना होगा तथा यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड मिलते ही तत्काल इसको बदल लेने की सलाह दी जाती है।
8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाता को एक प्रतिदेय ईएमडी, जोकि सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत है (उपरि वर्णित अनुसार) "कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से 26-04-2025 को अथवा पूर्व जमा करनी होगी।
9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा गया बोली प्रपत्र (फार्मेट **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर उपलब्ध है) ईएमडी हेतु डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिए, जो प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, **आंचलिक कार्यालय, प्लॉट नंबर 3बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110005** को अधिकतम **26-04-2025 के अप. 03.00 बजे** तक भेजा जा सकता है। सीलबंद लिफाफे पर "कर्जदार नाम" की सम्पत्ति के लिए ऋण खाता नंबर - .... (ऊपर वर्णित अनुसार) में ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु बोली" शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
10. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेंगे तथा योग्य बोलीदाताओं (जिनके द्वारा अपनी बोलियां सुरक्षित मूल्य से अधिक उद्धृत की गई हैं तथा प्रतिभूत लेनदार द्वारा विनिर्दिष्ट ईएमडी जमा की गई है) के विवरण की पुष्टि मैसर्स ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को करेंगे ताकि वे ई-नीलामी बिक्री सूचना में वर्णित तिथि और समय पर ऑनलाइन परस्पर बोलीदान/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति केवल उन्हीं योग्य बोलीदाताओं को दें।
11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोलीदान योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्चतम बोली से आरंभ किया जाएगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार होंगे अर्थात ई-नीलामी समाप्त होने का समय अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर बोली आने पर हर बार स्वतः 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
12. एक बार बोली देने के बाद निरस्त या वापस नहीं की जा सकती है। बोलीदाता को उपलब्ध कराई गई यूजर आईडी से दी गई सभी बोलियां केवल उसके द्वारा दी गई बोली मानी जाएंगी।
13. ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर, उच्चतम बोलीदाता को उसके द्वारा उद्धृत अंतिम बोली की राशि की पुष्टि तत्काल ई-मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, **आंचलिक कार्यालय, कार्यालय/प्लॉट नंबर 3बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110005** तथा सेवा प्रदाता दोनों को भेजनी होगी, ताकि उसको ई-नीलामी प्रक्रिया में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके।
14. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी सहित) बोली उसके पक्ष में छूटने पर, बिक्री के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 15 दिन के भीतर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/ आरटीजीएस/चैक द्वारा जमा करनी होगी।
15. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित राशियों का भुगतान नियत अवधि के भीतर करने में चूक की स्थिति में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशियां (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएंगी और सम्पत्ति दोबारा बिक्री हेतु रखी जाएगी।
16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, बोली राशि की बकाया रकम चुकाने के लिए समय, एकमात्र अपने विवेकानुसार लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।
17. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 1 प्रतिशत राशि बतौर टीडीएस (बिक्री राशि से) अदा करनी होगी तथा टीडीएस सर्टिफिकेट प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा तथा बिक्री मूल्य की पूरी राशि (1 प्रतिशत टीडीएस काटने के बाद), ईएमडी समायोजित करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के 15 कार्यदिवस के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त विचारित विस्तारित अवधि के भीतर अदा करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर जमा की गई धरोहर जमा जब्त कर ली जाएगी।
18. म्युनिसिपल/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। बोलियां सम्पत्ति से संबंधित सभी कानूनी बकाया को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए।
19. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र उसके द्वारा पूर्ण क्रय मूल्य/बोली राशि जमा करने तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।
20. हस्तांतरण, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण हेतु लागू कानूनी प्रभार तथा अन्य अनुषंगी प्रभार नीलामी क्रेता को वहन करने होंगे।
21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही प्रास्थगित/निरस्त कर सकते हैं। ई-नीलामी बिक्री कार्यक्रम बिक्री की निर्धारित तिथि से 15 से कम दिन पहले की तिथि हेतु प्रास्थगित करने की स्थिति में, यह सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी होगा तथा इसको चुनौती नहीं दी सकती है।
23. सभी बोलीदाता, जिनके द्वारा बोलियां प्रस्तुत की गई है, यह माना जाएगा कि वे ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें पढ़ एवं समझ चुके हैं तथा उनके अधीन बाध्य होंगे।
24. सम्पत्ति में रखी चल वस्तु (यदि कोई) इस बिक्री का अंश नहीं है।
25. **अतिरिक्त विवरण तथा पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड : श्री अमित वर्मा मोबाइल नंबर 9013255520/7400445137 से सम्पर्क करें और आगे पूछताछ के लिए सुश्री कल्पना चेतनवाला - 77380 39346 से सम्पर्क करें।**
26. यह प्रकाशन उक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधकदाता/गारंटर को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा 9(1) के तहत, उपरिवर्णित तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के संबंध में 15 (पंद्रह) दिन का कानूनी नोटिस भी है।

विशेष अनुदेश/चेतावनी : बोलीदाताओं को अन्तिम मिनटों अथवा क्षणों में बोलीदान करने की प्रवृत्ति को स्वयं के हित में त्यागना होगा। ना तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और ना ही सेवा प्रदाता बोलीदाता की ओर से किसी विफलता/कमी (विद्युत विफलता, इंटरनेट विफलता इत्यादि) हेतु उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति से बचने के क्रम में बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपेक्षित बैकअप पॉवर आपूर्ति इत्यादि जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प तैयार रखें, ताकि वे किसी भी आकस्मिक रूकावट से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान : दिल्ली/एनसीआर, आगरा तिथि : 11-04-2025 हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड